

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004272013

दांडिक प्रकरण क.-494 / 13

संस्थापित दिनांक-28.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-जगदीश सिंह पुत्र बुद्ध सिंह बुंदेला उम्र 40 साल निवासी लिधौरा थाना चंदेरी। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री परमार अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.03.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 25बी आर्म्स एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी

अब्दुल हमीद खां ने दिनांक 19.11.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को वह थाने में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दौरान ए गश्त इलाका मय हमाराही फोर्स के ग्राम लिधौरा जा रहा था तभी रास्ते में मुखविर द्वारा बताया गया कि ग्राम लिधौरा का जगदीश सिंह बुंदेला हाथ में एक नंगी तलवार लिए नडी तरफ कोई अपराध करने की नीयत से आ रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु बताए स्थल पर पहुंचा तो नडी पर साक्षी नन्हें राजा ठाकुर व फूला आदिवासी मिले, इनको साथ लेकर नदी के घाट आम रास्ता पर गए जहां आम रास्ता पर जगदीश सिंह हाथ में एक लोहे की तलवार लिए मिला। उससे उक्त तलवार रखने के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला एवं लायसेंस मांगने पर वह भी न होना बताया। उसका उक्त कृत्य धारा 25बी आर्म्स एक्ट का दंडनीय पाया जाने से उपरोक्त पंचान के समक्ष जप्ती व गिरफ्तारी की गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 434/13 के अंतर्गत 25बी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 “1” “1-बी” “बी” के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.11.13 को समय 10 बजकर 10 मिनट पर नदी आम रास्ता ग्राम लिधौरा में सार्वजनिक स्थल पर अपने अवैध आधिपत्य में एक लोहे की धारदार तलवार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 63126552-11-बी दिनांक 22.11.1974 आयुध

अधिनियम के उल्लंघन में रखे पाये गये जो आयुध अधिनियम की धारा 25 "1" "1-बी" "बी" के अंदर सजा के काबिल है ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 फूला आदिवासी, अ.सा. 02 नन्हेराजा, अ.सा. 03 अब्दुल हमीद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 फूला आदिवासी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 01 के अनुसार पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को नहीं पकड़ा और न ही कोई वस्तु जप्त की। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने प्रपी 01 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी को उसके समक्ष प्रपी 02 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। अ.सा. 02 नन्हेंराजा ने भी अपने कथन में बताया है कि उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी के पास से घटना दिनांक को प्रपी 01 के अनुसार तलवार जप्त की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। अ.सा. 02 ने अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि आरोपी से तलवार रखने के संबंध में लायसेंस के बारे में पूछताछ की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिसवालों ने जब उससे हस्ताक्षर कराए थे तब यह नहीं बताया था कि किस बात के हस्ताक्षर करा रहे हैं।

08— अ.सा. 03 अब्दुल हमीद ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 19.11.13 को मुखविर से उसे सूचना मिली थी कि आरोपी अपराध की नीयत से हाथ में तलवार

लिए जा रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी के पास से तलवार प्रपी 01 के अनुसार जप्त की थी जिसे रखने का उसके पास कोई लायसेंस नहीं था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफ्तार किया था तथा थाना वापसी पर आरोपी के विरुद्ध प्रपी 05 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

09— अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्रपी 01 के दोनों साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा इस बात से इंकार किया गया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी से एक तलवार जप्त हुई थी। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा तलवार प्रस्तुत नहीं की गई है। उपरोक्त साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि प्रकरण के दोनों चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं। प्रकरण में मात्र अ.सा. 03 की साक्ष्य ही शेष रह जाती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया है। अ.सा. 03 न केवल मामले का विवेचक है, बल्कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लेखबद्ध की गई है। उक्त साक्षी पुलिस निरीक्षक है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा रवानगी सान्हा एवं वापसी सान्हा न तो अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है और न ही उसे प्रमाणित किया गया है। प्रकरण में रवानगी सान्हा एवं वापसी सान्हा प्रस्तुत कर प्रमाणित किया जाना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि अ.सा. 03 के अनुसार उन्हें इलाकागश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा विचारण के समय जप्तशुदा तलवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई और न ही उसे प्रमाण में दिखाया गया। इस प्रकार वस्तुओं पर प्रदर्श अंकित किए बिना विधि की दृष्टि से कोई विधिक जप्ती होना नहीं कहा जा सकता एवं अपराध अप्रमाणित होता है (म0प्र0 राज्य वि0 कृष्णकुमार 1997, 1, एमपीडब्ल्यूएन 203 म0प्र0)।

10— उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मात्र पुलिस निरीक्षक की साक्ष्य ही अभिलेख पर है, किंतु मात्र पुलिस निरीक्षक की साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध नहीं होता।

(मुन्ना उर्फ राममनोहर वि० म०प्र० राज्य 1982, कि.लॉ.रि. 284 म०प्र० नोट)। इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन एवं न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा 25 "1" "1-बी" "बी" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की तलवार मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)